इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय, 2 एन.एस.रोड, कोलकाता- 700001

लाभांश वितरण नीति

1. नीति की आवश्यकता एवं उद्देश्यः

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 8 जुलाई, 2016 को सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (द्वितीय संशोधन) विनियमन 2016 को अधिसूचित कर दिया है। इन विनियमनों द्वारा सेबी ने विनियम 43 (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 {सेबी (एलडीओआर) विनियमन, 2015} के बाद विनियम 43 ए जोड़ दिया है, जिसके अनुसार लाभांश वितरण नीति का निर्माण करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष यथा 31 मार्च को, बाजार पूँजी की गणना के आधार पर शीर्ष 500 सूचीकृत कंपनियां आवश्यक है। उक्त नीति को वार्षिक रिपोर्ट में एवं सूचीकृत कंपनियों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।

हमारा बैंक एनएसई में यथा 31.03.2017 को बाजार पूँजी के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में 292वें स्थान पर है। सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 43 के अनुपालन में हमारे बैंक को बोर्ड अनुमोदित लाभांश वितरण नीति तैयार करना आवश्यक है।

नीति का उद्देश्य निवेशकर्ताओं को पूँजी बाजार में निवेश के लिए एक अच्छा जानकार निर्णयकर्ता बनाना है।

2. परिभाषाएः

लाभांश	लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है। साधारण बोलचाल में, लाभांश का अर्थ बैंक का लाभ है जो व्यवसाय में नहीं रखा जाता है तथा शेयरधारकों में उनके द्वारा रखे गए शेयर के (अंकित मूल्य) के लिए भुगतान की गई राशि के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है।
सीआरएआर	यह बैंक की जोखिम भारित आस्तियों में से बैंक पूँजी का अनुपात है।
लाभांश भुगतान अनुपात	लाभांश भुगतान अनुपात वर्ष भर में शुद्ध लाभ को किये जाने वाले (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) लाभांश के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है।

बोर्ड	"बोर्ड" से अभिप्राय बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9(3) के प्रावधानों के तहत गठित बैंक के निदेशकों के बोर्ड से है।

3. नीति का नामः

नीति **"इलाहाबाद बैंक-डिविडेंड ड्रिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी"** के नाम से जानी जाएगी।

4. नीति के निर्देशक तत्वः

बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत गठित बैंक होने के कारण, भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक को लाभांश वितरण से संबंधित प्राप्त होनेवाले दिशा-निर्देश/ प्राप्त/प्राप्त होने वाले निर्देश, बैंक के लाभांश वितरण नीति के निर्देशक तत्व होगें।

5. लाभांश वितरण से संबंधित बैंक के सामान्य सिद्धान्तः

बैंक का उद्देश्य लाभ के हिस्से को इसके शेयरधारकों में साझा कर लाभान्वित करना है जबकि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बैंक की वृद्धि हेतु पर्याप्त कोष रखे गए है। प्रत्येक वर्ष के लाभांश के लिए बोर्ड भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नियत दिशा-निर्देशों तथा बैंक के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर इसकी भविष्य की योजनाओं, आंतरिक व बाह्य कारकों, सांविधिक प्रतिबंधों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के विवेकाधिकार के अनुसार साधारण बैठक में शेयरधारकों में घोषणा के लिए संस्तुतियां करेगा। बोर्ड अपने विवेकाधिकार से अंतरिम लाभांश की घोषणा भी कर सकता है।

6. लाभांश भुगतान के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशः

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की पत्र संख्या एफ.न.10/3/2010-बीओए-दिनांकित 13 अप्रैल, 2010 के अनुसार बैंक को भुगतान की गई शेयर पूँजी पर 20% की दर से या कर लाभ के बाद का 20% जो भी ज्यादा है, न्यूनतम लाभांश के रूप में भुगतान करना आवश्यक है तथा यदि बैंक उपरोक्त न्यूनतम लाभांश भी भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक को भारत सरकार से इसके लिए विशेष रूप से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

7. लाभांश भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशः

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पत्र संख्या आरबीआई/451/2005 डीबीओडी.सं.बीपीबीसी 88/21.02.067/2004-05 दिनांकित 4 मई,2005 द्वारा यह निर्देशित कर दिया है कि बैंक यदि पूँजी पर्याप्तता, शुद्ध एनपीए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 व 16 संबंधित मापदण्डों के अनुपालन संबंधित निर्धारित पात्रता मापदण्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार आस्तियों के नुकसान, स्टॉफ फायदें, रिजर्व को लाभ हस्तांतरण इत्यादि के लिए प्रावधान रखता है, तो उसे लाभांश की घोषणा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने उपर्युक्त परिपत्र में यह निर्धारित किया है कि लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से ही भुगतान किया जाना चाहिए।

लाभांश भुगतान के अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा के मापदण्डों का मेट्रीक्स जैसा कि नीचे उल्लेखित है, भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र में भी निर्धारित किया हुआ हैः

श्रेणी	**सीआरएआर**	**शुद्ध एनपीए अनुपात**			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से 5% से कम तक	5% से 7% से कम तक
		लाभांश भुगतान के अनुपात की सीमा (कर के बाद लाभ का %)			
ए	पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के लिए 11% या उससे ज्यादा	अधिकतम 40	अधिकतम 35	अधिकतम 25	अधिकतम 15
बी	पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के लिए 10% या उससे ज्यादा	अधिकतम 35	अधिकतम 30	अधिकतम 20	अधिकतम 10
सी	पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के लिए 9% या उससे ज्यादा	अधिकतम 30	अधिकतम 25	अधिकतम 15	अधिकतम 5
डी	चालू वर्ष में 9% या उससे ज्यादा	अधिकतम 10		अधिकतम 5	शून्य

8. लाभांश वितरण के आंतरिक एवं बाह्य घटकः

बैंक का लाभांश भुगतान करने का निर्णय कुछ निश्चित बाहरी घटकों यथा देश की अर्थव्यवस्था की दशा, सांविधिक एवं नियामक प्रावधान, आस्थगित कर आस्तियों के स्थिति समेत कर विनियमन, जो भी लाभांश घोषणा के समय प्रभावी हो, पर भी निर्भर करेगा। उपर्युक्त बाहरी घटकों के अलावा बोर्ड आंतरिक घटकों यथा बैंक की दीर्घकालीन विकास योजनाएं, भविष्य में पूँजी की आवश्यकता, आस्तियों का प्रतिस्थापन, भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश एनपीए की पहचान में अंतर संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक की जाँच, प्रावधानों में कमी, खातों के विवरण संबंधित लेखा परीक्षक की विशिष्टता इत्यादि पर भी विचार करेगा। लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

9. प्रतिधारित आय का उपयोगः

प्रतिधारित आय का उपयोग मुख्य रूप से बैंक की विकास योजनाओं, सीआरएआर में सुधार एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार अन्य उद्देश्यों हेतु किया जाएगा।

10. शेयर के विभिन्न प्रकारों से संबंधित प्रावधानः

बैंक के पास वर्तमान में एक ही प्रकार के शेयर है, जो इक्विटी नाम से है। भविष्य में किसी भी अन्य प्रकार के शेयर निर्गम करने पर, बैंक द्वारा उचित समय पर समुचित मापदण्डों का निर्धारण किया जाएगा। जबकि बैंक प्रिफरेंस शेयर पर लागू दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेगा, यदि ऐसा होता है।

11. लाभांश भुगतान का तरीकाः

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 12 के अनुसार बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाभांश भुगतान के लिए अनुमोदित भुगतान का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीका उपयोग करेगा। जहाँ किसी कारण से भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक तरीका उपयोग करना संभव न हो, पात्र शेयरधारक को "पेएबल-एट-पर" वारंट या डिमांड ड्रॉफ्ट जारी किये जाएगें।

12. प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंगः

(क) बैंक की वेबसाइट पर नीति प्रदर्शित की जाएगी तथा वार्षिक रिपोर्ट में वेबलिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) बैंक निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-I) तथा आरबीआई द्वारा निर्धारित समय-सीमा (वर्तमान में लाभांश घोषणा के एक पखवाड़ा में) में लेखा वर्ष का लाभांश भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करेगा।

(ग) बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अंतर्गत यथा निर्धारित ही प्रति शेयर आधार पर लाभांश घोषित एवं प्रदर्शित करेगा।

13. नीति की वैधताः

नीति 3 (तीन वर्ष) या जब तक बोर्ड द्वारा संशोधित या वापस न ले ली जाए, जो भी पहले हो, प्रचलन में रहेगी। बोर्ड नीति से संबंधित समस्त प्रावधानों में किसी भी समय या समय-समय पर संशोधन या सुधार या रूपांतरण करने के लिए सक्षम होगा।

किसी भी प्रकार के नियामक दिशा-निर्देशों/ अनुदेशों प्राप्त होने पर, इस प्रकार के दिशानिर्देश/ अनुदेश नीति के भाग माने जाएगें।

समीक्षा होने पर, समस्त प्रकार के परिवर्तनों को नीति के दस्तावेज में शामिल किया जाएगा एवं बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

आकस्मिक स्थितियों में बोर्ड द्वारा विशोधन के मामले में, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक नीति में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगें।

परिशिष्ट-I

भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने का प्रारूप

वित्तीय वर्ष---------- के दौरान घोषित लाभांश का विवरण

बैंक का नामः इलाहाबाद बैंक

लेखा अवधि*	लेखा अवधि में शुद्ध लाभ (करोड रू. में)	लाभांश की दर (प्रति शेयर रू.व %)	लाभांश की राशि(लाभांश कर छोडकर) (करोड रू. में)	भुगतान का अनुपात
1	2	3	4	5

*तिमाही या अर्द्ध-वार्षिक या वर्षान्त, जैसा भी हो।